दिनांक- 10.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 528/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 10.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 10.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 529/26

महोबा पुलिस

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक चेकिंग अभियान...।

- आज दिनांक 10.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

महोबा पुलिस

दिनांक- 10.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 530/26

जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी अपराध द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया गया।

- जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 21.07.2026 को क्षेत्राधिकारी श्री अजय पाल द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया गया।
- निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर में तैनात पुलिस बल की ड्यूटी, प्रवेश/निकास बिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, आगंतुकों की निगरानी, वाहन पार्किंग व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता का गहनता से जायजा लिया गया।
- इस दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक आगंतुक की समुचित जांच सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।
- क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा न्यायालय परिसर में आने वाले वादकारियों एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
- जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतत निगरानी रखी जा रही है एवं किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

दिनांक- 10.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 531/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कुल 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

प्रथम प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, जिला महोबा द्वारा निर्गत मुकदमा सं0 669/2018, अ0सं0 1731/2012, धारा 147/441/447/434/504/506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1. इन्द्रजीत पुत्र ठाकुरदास उम्र करीब 45 वर्ष एवं 2. मदनपाल पुत्र ठाकुरदास उम्र करीब 33 वर्ष, निवासीगण ग्राम परापांतर थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम परापांतर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

द्वितीय प्रकरण में उ0नि0 ऋषि शुक्ला, चौकी प्रभारी सौरा द्वारा गठित पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, जिला महोबा द्वारा निर्गत मुकदमा सं0 630/2018, धारा 323/324/504 भादवि थाना महोबकंठ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1. मंजू पुत्र खैराती उम्र करीब 50 वर्ष एवं 2. इदरीश पुत्र खैराती उम्र करीब 40 वर्ष, निवासीगण ग्राम गाड़ौ थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम गाड़ौ से गिरफ्तार किया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. इन्द्रजीत पुत्र ठाकुरदास, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम परापांतर थाना महोबकंठ जनपद महोबा।मदनपाल पुत्र ठाकुरदास, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम परापांतर थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. मंजू पुत्र खैराती, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम गाड़ौ थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. इदरीश पुत्र खैराती, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम गाड़ौ थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रथम टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. का0 नितिन कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. का0 मनोज कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

द्वितीय टीम-

1. उ0नि0 ऋषि शुक्ला, चौकी प्रभारी सौरा, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. रि0का0 गौरव पाण्डेय, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. रि0का0 आलोक सिंह, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

दिनांक- 10.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 532/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम व बरामदगी/गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीण सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 संदीप विमल मय हमराह रि0का0 इंदल गौतम द्वारा अभियुक्त हेमन्त सोनी पुत्र राजबहादुर सोनी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मोहल्ला मनोहरगंज कस्बा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद रंग की बोरी में 17 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड "बंटी बबली" नाजायज बरामद की गई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर जनपद महोबा पर मु0अ0सं0 147/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 संदीप विमल

2.रि0का0 इंदल गौतम

गिरफ्तार अभियुक्त:

हेमन्त सोनी पुत्र राजबहादुर सोनी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मोहल्ला मनोहरगंज कस्बा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी विवरण:

- एक सफेद रंग की बोरी में 17 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड "बंटी बबली" नाजायज बरामद